भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 7/26/2025 – डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001

दिनांक :27 जनवरी, 2026

जांच शुरुआत अधिसूचना
मामला सं. एडी (एसएसआर) – 14/2025

विषय: चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य और थाइलैंड से निर्यातित 'थैलिक एनहाइड्राइड' के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत।

1. फा. सं. 7/26/2025- डीजीटीआर: समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रुप में कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियमावली' के रुप में कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, आईजी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (आईजीपीएल), तिरुमलाई केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (टीसीएल) और टीसीएल इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड (टीसीएलआईपीएल) (तिरुमलाई केमिकल इंडस्ट्रीज की एक 100% स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी) (जिन्हें इसके बाद "आवेदक"के रुप में कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद 'प्राधिकारी' के रुप में कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य, थाइलैंड और इंडोनेशिया के मूल के या वहां से निर्यातित 'थैलिक एनहाइड्राइड' (जिसे इसके बाद "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीएएन" के रुप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया है।

2. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, लगाया गया शुल्क, जब तक कि इसे पहले हटा न लिया जाए, इसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष पूरे होने पर समाप्त हो जाएगा और प्राधिकारी को यह समीक्षा करनी होगी कि क्या शुल्क समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसी के अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से एक विधिवत साक्ष्य सहित किए गए अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करनी होगी कि क्या शुल्क समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क. विगत जांच की पृष्ठभूमि

3. प्राधिकारी द्वारा चीन जन. गण., इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य और थाइलैंड से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मूल पाटनरोधी जांच दिनांक 21 मई 2020 को शुरू की गई थी। प्राधिकारी द्वारा पूरी जांच किए के बाद, यह निष्कर्ष निकाला गया कि विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों से भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा था और इससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही थी।

4. प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 9 अगस्त, 2021 की अधिसूचना सं. 43/2021- सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से लगाया गया था।

5. उपरोक्त शुल्क अभी दिनांक 8 अगस्त 2026 तक लागू हैं। अत: वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को जारी रखे जाने की आवश्यकता की जांच करने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए यह आवेदन दायर किया जा रहा है।

ख. <u>विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)</u>

6. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "थैलिक एनहाइड्राइड (पीएएन)" है, जो कि थैलिक एसिड का मुख्य वाणिज्यिक रूप है। इस जांच में विचाराधीन उत्पाद वही है जैसा कि मूल जांच में परिभाषित गया था, जो इस प्रकार है:

"वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "थैलिक एनहाइड्राइड" (पीएएन) है। थैलिक एनहाइड्राइड (पीएएन) थैलिक एसिड का एक एनहाइड्राइड है और इसका उत्पादन वाणिज्यिक रुप से ऑर्थो-ज़ाइलीन या नेफ़थलीन का कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन करके किया जाता है। यह एक रंगहीन ठोस है, जिसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है जैसे थैलिक एनहाइड्राइड फ्लेक्स, थैलिक एनहाइड्राइड (98% मिन.), थैलिक एसिड एनहाइड्रस, थैलिक एनहाइड्राइड (99.8% मिन.), आदि। थैलिक एनहाइड्राइड के विनिर्देशनों में इसकी भौतिक बनावट, ठोस फ्लेक्स का रंग, पिघले हुए उत्पाद का रंग, ठोसकरण का बिंदु, भार के अनुसार थैलिक एनहाइड्राइड की मात्रा, भार के अनुसार अन्य एनहाइड्राइड और ऑर्गेनिक अशुद्धियों की मात्रा और एसिडिटी इंडेक्स शामिल हैं।"

विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत उप शीर्ष 29173500 के अंतर्गत वगीकृत किया गया है। यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।"

7. उत्पाद का आकलन उसके शुद्धता के स्तर से किया जाता है, जो कि अंतिम उत्पाद में भार के अनुसार थैलिक एनहाइड्राइड की प्रतिशतता होती है। शुद्धता को मापने के लिए निर्माता एएसटीएम और अन्य अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण मानकों का अनुपालन करते हैं। थैलिक एनहाइड्राइड

का उत्पादन करने में उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी के कारण उत्पादकों को 99.8% (भार के हिसाब से) से अधिक थैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है।

8. चूंकि यह आवेदन निर्णायक समीक्षा के लिए है, अत: विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहेगा जो विगत जांच परिणाम में दर्शाया गया था।

9. आवेदक ने किसी पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव नहीं किया है।

उपयोग:

10. थैलिक एनहाइड्राइड प्लास्टिक इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण रासायनिक मध्यवर्ती (कैमिकल इंटरमीडिएट) होता है। इस उत्पाद के विभिन्न उपयोगों में प्लास्टिसाइज़र, पॉलिएस्टर रेज़िन, पेंट और लैकर में इस्तेमाल होने वाले एल्किड रेज़िन, पॉलिएस्टर पॉलीओल्स, डाई और पिगमेंट आदि शामिल हैं।

11. इस जांच से संबद्ध हितबद्ध पक्षकार इस जांच के शुरू होने की तारीख या इस नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर, पीयूसी – पीसीएन के दायरे पर अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हो, तो दे सकते हैं।

ग. समान वस्तु

12. आवेदकों ने यह दावा किया है कि विचाराधीन वस्तु, जिसका भारत में पाटन किया जा रहा है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। पाटित आयात और घरेलू स्तर पर उत्पादित विचाराधीन वस्तु के तकनीकी विनिर्दिशन, गुणवत्ता, कार्य या अंतिम उपयोग में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही तकनीकी और व्यावसायिक दृष्टि से एक दूसरे के स्थान पर उपयोग की जा सकती हैं और इसलिए नियमावली के तहत उन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। अत:, वर्तमान जांच के प्रयोजन से, भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित विचाराधीन वस्तु को विचाराधीन देशों से आयात की जा रही विचाराधीन वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग और स्थिति

13. यह आवेदन आईजी पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड, तिरुमलाई कैमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और टीसीएल इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड (जो कि तिरुमलाई केमिकल इंडस्ट्रीज की 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है) द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों के अलावा, भारत में घरेलू समान वस्तु का एक अन्य उत्पादक भी है जिसका नाम केएलजे पैट्रोप्लास्ट लिमिटेड है, जिसने जून 2023 में उत्पादन शुरू किया है और इस उत्पादक ने आवेदन का समर्थन किया है।

14. इसे देखते हुए और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के तात्पर्य से घरेलू उद्योग के अंतर्गत आता है। यह आवेदन नियम 5(3) के अनुसार स्थिति की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ड़. संबद्ध देश

15. इस जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य और थाईलैंड हैं।(जिन्हें इसके बाद "संबद्ध देश" के रुप में कहा गया है) इंडोनेशिया के खिलाफ जांच शुरू नहीं की जा रही है क्योंकि इंडोनेशिया से एंटी-डंपिंग शुल्क समाप्त होने की स्थिति में डंपिंग जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना और घरेलू उद्योग को नुकसान के संबंध में कोई विधिवत प्रमाणित आवेदन नहीं है।

च. जांच की अवधि

16. इस जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 (12 माह) तक की है। क्षति जांच की अवधि में अप्रैल 2022 - मार्च 2023, अप्रैल 2023 - मार्च 2024, अप्रैल 2024 - मार्च 2025 और जांच की प्रस्तावित अवधि शामिल है।

छ. कथित पाटन का आधार

i. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

17. आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रुप में माना जाना चाहिए और चीन के उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाना चाहिए कि उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। जब तक चीन के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध – I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

18. आवेदकों ने उस कीमत के संबंध में साक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश की है, जिस पर विचाराधीन उत्पाद को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में उत्पादकों द्वारा इन देशों के उपभोक्ताओं को बिक्री की जा रही है (अर्थात, घरेलू कीमत) या बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में उत्पादन लागत। वास्तविक बिक्री कीमत का कोई भी सत्यापन करने योग्य साक्ष्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं था। आवेदक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में वास्तविक बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं कर सके।

19. आवेदकों ने "किसी अन्य उचित आधार" पर सामान्य मूल्य तय करने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए, आवेदकों ने मार्जिन के लिए उचित वृद्धि के साथ अपनी उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य तय किया है। आवेदकों द्वारा प्रस्तावित पद्धति को जांच शुरू करने के उद्देश्य से माना गया है।

ii. कोरिया गणराज्य और थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य

20. आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि वे संबंधित देशों में थैलिक एनहाइड्राइड के लिए सत्यापन करने योग्य घरेलू बिक्री मूल्य प्राप्त नहीं कर सके। अत:, आवेदकों ने नीचे दी गई कार्यपद्धति के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया है:

क. कच्ची सामग्री की कीमतें – संबद्ध देश में कच्ची सामग्री के निर्यात कीमत के आधार पर।
ख. अन्य रूपांतरण लागतें: उपलब्ध तथ्यों के आधार पर
ग. बिक्री/ सामान्य और प्रशासनिक व्यय : उपलब्ध तथ्यों के आधार पर
घ. लाभों मे तर्कसंगत बढोत्तरी।

21. आवेदकों द्वारा प्रस्तावित कार्यपद्धति पर विचार किया गया है। तथापि, जांच शुरू करने के प्रयोजन के लिए, सामान्य मूल्य आवेदकों की उत्पादन लागत के आधार पर लाभों मे तर्कसंगत बढोत्तरी के साथ निर्धारित किया गया है।

i. निर्यात कीमत

22. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत को डीजी सिस्टम्स के लेन देन-वार आयात डेटा में सूचित की गई सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखकर तय किया गया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, बंदरगाह व्यय, ऋण लागत और वस्तुसूची रखने की लागत के लिए समायोजन किए जाने का दावा किया गया है।

ii. पाटन मार्जिन

23. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना बाह्य स्तर पर की गई है, जिससे *प्रथम दृष्ट्या* यह सिद्ध होता है कि विचाराधीन उत्पाद के संबंध में संबद्ध देशों से आयातित पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम के स्तर से अधिक है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है।

ज. <u>क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना और कारणात्मक संबंध</u>

24. आवेदक ने पाटित किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही निरंतर क्षति के संबंध में प्रारंभिक साक्ष्य प्रदान किए हैं। पाटित किए गए आयातों के कारण कीमतों में गिरावट ने पूरी लागत की वसूली करने और लाभों की उचित बढोत्तरी को हासिल करने के लिए कीमतों में सुधार को रोक दिया है। आवेदक को वित्तीय नुकसान, नकदी लाभ में भारी गिरावट, और लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल का सामना करना पड़ रहा है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि मौजूदा जांच में और अधिक क्षति होने की संभावना है और उसने अतिरिक्त क्षमता, निर्यात पर ध्यान और भारत की कीमतों के आकर्षक होने के संबंध में जानकारी दी है।

25. आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी, *प्रथम दृष्टया,* विषयगत देशों पर एंटी-डंपिंग शुल्क की समाप्ति की स्थिति में डंपिंग के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को चोट लगने की संभावना को दर्शाती है।

झ. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

26. आवेदक के विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, और आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए *प्रथम दृष्टया* साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के बाद, जो कि पाटन और क्षति के जारी जारी रहने/ पुनरावृत्ति होने की संभावना को सिद्ध करते हैं, और नियमावली के नियम 23 (ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, प्राधिकारी एतद्द्वारा संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हैं, और यह जांच क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

ञ. प्रक्रिया

27. वर्तमान जांच के लिए नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ट. सूचना की प्रस्तुति

28. सभी इच्छुक पार्टियों को SETU पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर खुद को पंजीकृत करना आवश्यक है। इच्छुक पार्टियों से सभी संचार और प्रस्तुतियाँ SETU पोर्टल पर उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी- AD/SSR/11112025/01 के तहत अपलोड की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सबमिशन का वर्णनात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में है और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हैं।

29. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकार और भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं को, जो विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध होने के लिए जाने जाते हैं, उन्हें अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित की गई समय सीमा के भीतर सभी संगत जानकारी प्रस्तुत कर सकें। ऐसी समस्त जानकारी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित प्रारुप और निर्धारित तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

30. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित की गई समय सीमा के भीतर इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित प्रारुप और निर्धारित तरीके से वर्तमान जांच से संबंधित प्रस्तुति कर सकते हैं।

31. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी भी पक्षकार को उसी का एक अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना होगा।

32. इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और SETU पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित नजर रखें। इच्छुक पार्टियों को निर्देश दिया जाता है कि वे नियमित रूप से डीजीटीआर की वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) पर जाएं ताकि विषय की जांच में आगे की प्रगति से अवगत रहें और प्रश्नावली प्रारूप, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचना और ऐसी अन्य जानकारी के संबंध में समय-समय पर जारी किए जा सकने वाले नोटिस के बारे में सूचित रहें।

ठ. <u>समय सीमा</u>

33. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी SETU पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी -AD/SSR/11112025/01 के तहत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों संस्करण, गोपनीय संस्करण (सीवी) और गैर-गोपनीय संस्करण (एनसीवी) को उस तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्दिष्ट कॉलम में अपलोड किया जाना चाहिए, जिस दिन घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन का गैर-गोपनीय संस्करण प्राधिकरण द्वारा प्रसारित किया जाएगा या एडी नियम, 1995 के नियम 6 (4) के अनुसार निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त जानकारी अधूरी है, तो प्राधिकरण रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और एडी नियम, 1995 के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है

34. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) बताएं और इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली उत्तर केवल SETU पोर्टल के माध्यम से दाखिल करें।

35. पीयूसी/पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियाँ दर्ज करने की 15 दिन की अवधि इस पहल अधिसूचना के ऊपर पैरा 28 में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।

36. पीयूसी/पीसीएन में संशोधन के कारण विस्तार: यदि प्राधिकरण, बाद के नोटिस के माध्यम से, पीयूसी और पीसीएन को संशोधित करता है जो पहले प्रस्तावित नहीं था या शुरुआत अधिसूचना से अलग है, तो 15 दिनों का विस्तार दिया जाएगा। संशोधित पीयूसी और पीसीएन की ऐसी अधिसूचना की तारीख से 15 दिनों का यह विस्तार दिया जाएगा। इस पैराग्राफ में बताए गए 15 दिनों के समय का विस्तार उन मामलों में लागू नहीं है जहां जांच शुरू होने के बाद पीयूसी और पीसीएन पद्धति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एडी नियमों के नियम 6(4) के अनुरूप, 15-दिन

के विस्तार (यदि दिया गया) से अधिक समय विस्तार के अनुरोध पर, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, आमतौर पर विचार नहीं किया जाएगा।

37. विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षों द्वारा SETU पोर्टल के माध्यम से उपरोक्त पैराग्राफ 28 में निर्दिष्ट मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा

ड. <u>गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति</u>

38. जहां पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष इस जांच में कोई भी गोपनीय रूप से सूचना प्रस्तुत करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, तो उस पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए संबंधित व्यापार नोटिस के अनुसार, उस सूचना का एक अगोपनीय पाठ भी साथ में प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता के कारण प्रतिक्रिया/प्रस्तुतियाँ अस्वीकार की जा सकती हैं।

39. प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं सहित प्राधिकरण के समक्ष कोई भी प्रस्तुतिकरण (उसके साथ संलग्न परिशिष्ट/अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षों को गोपनीय और गैर-गोपनीय संस्करण अलग-अलग दाखिल करने की आवश्यकता होती है।

40. ऐसी सूचना के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रुप से 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' अंकित होना चाहिए। प्राधिकारी को प्रदान की गई कोई भी सूचना, जिस पर इस प्रकार का अंकन नहीं किया गया होगा, उसे प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय' सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी सूचना देखने की अनुमति दें।

41. गोपनीय पाठ में वह सभी सूचना शामिल होगी जो स्वभाविक रुप से गोपनीय है, और/ या अन्य सूचना, जिसे प्रदान करने वाला गोपनीय बताता है। जो सूचना स्वभाविक रुप से गोपनीय बताई गई है, या जिस सूचना पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, उस सूचना के आपूर्तिकर्ताको दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण बताना होगा कि ऐसी सूचना क्यों सार्वजनिक नहीं की जा सकती है।

42. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें कि गोपनीय सूचना की सूची बनाई गई हो या खाली छोड़ दिया गया हो (जहां सूची बनाना संभव न हो) और ऐसी सूचना को उचित और पर्याप्त रूप से सारांशित किया जाना चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि किस सूचना पर गोपनीयता का दावा किया गया है।

43. अगोपनीय सारांश में इतनी पर्याप्त सूचना होनी चाहिए कि गोपनीय आधार पर दी गई सूचना के सार को समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला

पक्षकार यह बता सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं बनाया जा सकता और पर्याप्त और उचित स्पष्टीकरण के साथ एक कारण बताना होगा कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, और यह प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार होना चाहिए।

44. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेज़ों के अगोपनीय पाठ को परिचालित किए जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मामलों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

45. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या यदि सूचना प्रदान करने वाला पक्ष सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य या सारांश रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना को नज़रअंदाज़ कर सकते हैं।

46. उसके सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण या नियमों के नियम 7 के संदर्भ में पर्याप्त कारण विवरण और प्राधिकरण द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस के बिना गोपनीयता के दावे पर किए गए किसी भी प्रस्तुतीकरण को प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।।

ढ़. <u>सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण</u>

47. किसी भी इच्छुक पार्टी द्वारा किए गए सबमिशन के सभी गैर-गोपनीय संस्करण SETU पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से अन्य इच्छुक पार्टियों के लिए पहुंच योग्य होंगे।

ण. <u>असहयोग</u>

48. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना तक पहुंच प्रदान करने से इनकार करता है और उचित समय के भीतर या इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई समय के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रुप से बाधा उत्पन्न करता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसे यथाउपयुक्त सुझाव दे सकते हैं।

अमिताभ कुमार

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी